

अध्याय IV शुल्क छूट/माफी योजनाएं

सरकार किसी अधिसूचना के माध्यम से निर्यात संवर्धन योजना के अधीन इनपुट एवं पूंजीगत माल के आयात के लिए पूरे सीमा शुल्क अथवा इसके किसी भाग को छूट प्रदान कर सकती है। ऐसे छूट प्राप्त माल के आयातकर्ता विशिष्ट शर्तों का अनुपालन करने के साथ-साथ कुछ निर्यात दायित्वों (ईओ) को पूरा करने का वचन देता है जिसके विफल होने पर शुल्क की पूरी दर उद्ग्राह्य हो जाती है। कुछ निदर्शी मामलों जहाँ शुल्क की छूट ईओ/शर्तों को पूरा किए बिना प्राप्त कर ली गई, की निम्नलिखित पैरा ग्राफ में चर्चा की गई है। इन मामलों में कुल ₹ 3.32 करोड़ का राजस्व शामिल है। इन आपत्तियों को सात ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफ के माध्यम से मंत्रालय को भेजा गया था।

4.1 अग्रिम लाइसेंस योजना

देशी अधिप्राप्ति के लिए अमान्यकरण के बाद इनपुटों का आयात

एचबीपी खण्ड-I (2004-09) के पैराग्राफ 4.14 की शर्तों के अनुसार अग्रिम लाइसेंसधारक देशी स्ट्रोतों/राज्य व्यापार उद्यमों से इनपुटों को प्राप्त करने के लिए अग्रिम निर्गम आदेश (एआरओ) के अनुदान के लिए क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारी (आरएलए) को आवेदन कर सकते हैं। अग्रिम निर्गम आदेश आयात के लिए लाइसेंस रद्द करने के बाद जारी किए जाते हैं।

मोटर गाड़ी के टायरों को निर्यात करने के लिए अपेक्षित इनपुटों का आयात करने हेतु आरएलए, मदुरै के माध्यम से मै. टीवीएस श्रीचक्र लिमिटेड, मदुरै को तीन अग्रिम प्राधिकरण लाइसेंस जारी (अगस्त/अक्टूबर 2005, जून 2006) किए गए। लाइसेंसधारक की प्रार्थना पर आरएलए ने सीधे आयात के लिए अनुमत्त कार्बन ब्लैक (इनपुट) के 8,18,496 कि.ग्रा. की पूरी मात्रा के प्रति इन लाइसेंसों को रद्द कर दिया। हमने पाया कि इन तीन लाइसेंसों के अन्तर्गत लाइसेंस धारी ने गलत तरीके से 7,62,600 कि.ग्रा. कार्बन ब्लैक का आयात उसी के देशी स्ट्रोत के अतिरिक्त किया। ₹ 1.03 करोड़ की राशि का पूर्व निश्चित सीमा शुल्क लाइसेंस धारी से ब्याज के साथ वसूली योग्य था क्योंकि यह मदें आयात के लिए रद्द की जा चुकी थीं।

जब हमने इसे सूचित किया (अगस्त 2009/अप्रैल 2010), आरएलए ने एक लाइसेंस के सम्बन्ध में ₹ 13.68 लाख की वसूली एवं ₹ 6.00 लाख के ब्याज की वसूली सूचित की (जून 2010)। शेष दो लाइसेंसों के सम्बन्ध में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2010)।

हमने मंत्रालय को मामले की सूचना दी (अक्टूबर 2010); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2010)।

4.2 निर्यातोन्मुख इकाईयां (ईओयू)/निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (ईपीजेड) योजना

4.2.1 गलत निर्धारणीय मूल्य का अपनाना

विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) नियमावली, 2006 के नियम 47(4) में प्रावधान है कि घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) में निकाले गए माल का मूल्यांकन और निर्धारण सीमा शुल्क अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा।

सीमाशुल्क मूल्यांकन (आयातित माल के मूल्य का निर्धारण) नियमावली, 2007 के नियम 10(2) के अनुसार सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 की उप-धारा (1) एवं सीमाशुल्क मूल्यांकन नियमावली, 2007 के उद्देश्य के लिए आयातित माल का मूल्य ऐसे माल का मूल्य होगा और उसमें (क) भाड़ा (ख) बीमा, और (ग) लादने, उतारने और चढ़ाई-उतराई प्रभार नामक अतिरिक्त लागत और सेवाएं शामिल होंगी।

अप्रैल 2008 और अक्टूबर 2009 के बीच विकास आयुक्त (डीसी), फालता एसईजेड और सीमाशुल्क कमिश्नरी (हवाई पत्तन), कोलकाता के अधिकार-क्षेत्र के अधीन में कोस्टल एनर्जी लिमिटेड और अन्य 49 एसईजेड इकाईयों द्वारा डीटीए में निकाले गए माल के 3019 परेषणों के सम्बन्ध में, माल के बीजक/संव्यवहार मूल्य को ऐसे निकासी पर शुल्क के भुगतान के लिए निर्धारणीय मूल्य के समान लिया गया। संवीक्षा से पता चला कि ऐसे बीजक/संव्यवहार मूल्य में डीटीए की निकासी के लिए बीमा और उतार प्रभार की लागत शामिल नहीं की गई थी। इन अवयवों को जोड़ने के बाद निर्धारणीय मूल्य ₹ 292.61 करोड़ बना (भाड़े के कारण लागत को छोड़कर चूंकि निकासी एसईजेड गेट पर की गई)। निर्धारणीय मूल्य के गलत परिकलन के कारण ₹ 90.46 लाख की उगाही कम हुई।

जब हमने इसे सूचित किया (नवम्बर 2009), डीसी ने बताया (मार्च 2010) कि आपत्ति स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आयातित माल को संव्यवहार मूल्य जो माल के निर्धारणीय मूल्य निश्चित करता है, सहित भाड़ा, बीमा, उतार और चढ़ाई-उतराई प्रभारों आदि को जोड़ने के बाद एसईजेड इकाईयों तक लाया गया था। इसके अतिरिक्त यह बताया गया कि चूंकि इन प्रभारों को एसईजेड को आयात के समय निर्धारणीय मूल्य में पहले ही शामिल कर लिया गया था, प्रविष्टि के डीटीए बिल निर्धारण के लिए इन खर्चों को शामिल करना न्याय संगत नहीं था।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं था। जब एसईजेड इकाई डीटीए में माल की निकासी करती है यह एक आयातकर्ता के रूप में कार्य करती है और घरेलू क्रेता इसे देश में आयात की तरह मानते हैं और तदनुसार मूल्य संव्यवहार मूल्य जिसमें सीमा शुल्क मूल्यांकन (आयातित माल के मूल्य का निर्धारण) नियमावली, 2007 की शर्तों में भाड़ा, लदाई-उतराई प्रभार और बीमा प्रभार की लागत को शामिल करना हो, होना चाहिए। एसईजेड के बाहर माल के स्थानान्तरण के दौरान बीमा, लदाई-उतराई प्रभार पुनः उपगत किए जाते हैं जो उनसे असम्बन्धित हैं जिनको एसईजेड में अपनी प्रविष्टि के समय माल के संव्यवहार के साथ जोड़ा गया और इसलिए इनको निर्धारणीय मूल्य में शामिल किया जाना है।

हमने मामला मंत्रालय को सूचित किया (अक्टूबर 2010); जिसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2010)।

4.2.2 निर्माण प्रक्रिया के दौरान पैदा हुए अपशिष्ट का डीटीए में गलत विक्रय

दिनांक 31 मार्च 2003 की यथासंशोधित अधिसूचना संख्या 52/2003-सीयूएस के पैराग्राफ 3 के प्रथम उपबन्ध की शर्तों के अनुसार किसी ईओयू द्वारा गैर उत्पाद शुल्क योग्य तैयार माल (अपशिष्ट सहित) अथवा बीसीडी/सीवीडी के शून्य दर के प्रति उद्ग्रहणीय माल का उत्पादन किए जाने और डीटीए में विक्रम किए जाने के लिए अनुमत किए जाने पर, अपशिष्ट सहित ऐसे तैयार माल के उत्पादन के लिए उपयोग किए गए इनपुट के सम्बन्ध में कोई छूट उपलब्ध नहीं होगी।

पूणे II कमिश्नरी में शुल्क रहित आयातित कच्ची कपास से काटन यार्न के विनिर्माण में लगे मै. अभिषेक मिल्स लिमिटेड और मै. यूरोटेक्स इण्डस्ट्रीज एण्ड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड दो ईओयू ने दिनांक 31 मार्च 2003 की अधिसूचना संख्या 23/2003-सीई के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की "शून्य" दर पर 2005 से 2009 की अवधि के दौरान डीटीए में "बेकार रूई" (उत्पादन प्रक्रिया में उत्पन्न) की निकासी की।

क्योंकि अधिसूचना के अंतर्गत डीटीए बिक्री के लिए प्रभावी मूल सीमाशुल्क तथा सीवीडी 'शून्य थी', एफटीपी 2004-2009 के पैरा 6.8 (जे) के निबन्धनों के अनुसार बेकार रूई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क योग्य नहीं थी। इस प्रकार बेकार रूई बनाने वाले इनपुटों के उस हिस्से पर ₹ 75.86 लाख का शुल्क देय था।

हमारे द्वारा इसे बताए जाने पर (दिसम्बर 2009), विभाग ने कहा (मार्च 2010) कि बेकार रूई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम (सीटा) 1985 के शीर्ष 5202 के अंतर्गत उत्पाद शुल्क योग्य थी तथा शुल्क 'शून्य', की दर से लगाया जाना था। यह भी कहा गया था कि क्योंकि यह सेटा की प्रथम अनुसूची के अनुसार या किसी छूट प्रदान करने वाली अधिसूचना के अंतर्गत शुल्क लगाने योग्य नहीं थी बेकार रूई को इसी कारण से ही उत्पाद शुल्क योग्य नहीं माना जा सकता। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है। यह ईओयू द्वारा उत्पादित माल की डीटीए बिक्री का मामला था जहाँ बीसीडी तथा सीवीडी शून्य थी ऐसी वस्तुओं को (इस मामले में बेकार रूई) को एफटीपी के उक्त पैरे 6.8(जे) के निबन्धानुसार उत्पाद शुल्क के योग्य नहीं माना जाना चाहिए। विभाग को इसकी सूचना अगस्त 2010 में दी गई थी, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2010)।

हमने मामले की सूचना मंत्रालय को दी (अक्टूबर 2010); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2010)।

4.2.3 केन्द्रीय बिक्री कर की गलत प्रतिपूर्ति

एफटीपी 2004-09 के पैरे 6.11(सी) के अनुसार, माल के उत्पादन के लिए डीटीए से खरीददारी करने पर ईओयूएस को केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी) की प्रतिपूर्ति का अधिकार प्राप्त है। प्रणालियों की हस्तपुस्तिका (एचबीपी) खण्ड I के परिशिष्ट 14-I-I के खण्ड 2(ए) के अनुसार प्रतिपूर्ति की योग्यता इस शर्त पर निर्भर थी कि ईओयूएस, डीटीए की आपूर्तियाँ का उपयोग निर्यात या निर्यात किए जाने वाले उत्पादों के उत्पादन के लिए करे। तथापि एफटीपी 2009-14 में परिशिष्ट 14-I-I के प्रावधानों में अगस्त 2009 से माल के निर्यात के लिए होने की आवश्यकता को हटाते तथा ईओयू को

डीटीए की आपूर्ति के लिए सीएसटी के प्रतिपूर्ति अनुमत करते हुए संशोधन किया गया था बशर्ते ईओयू द्वारा इनका प्रयोग माल/सेवाओं के उत्पादन के लिए किया जाए।

उपायुक्त विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक क्षेत्र (वीएसईजेड) हैदराबाद के अधिकार क्षेत्र में कार्यरत एक 100 प्रतिशत ईओयू मै0 ग्रेनुअलस इंडिया लिमिटेड को 2006-07 तथा 2008-09 के दौरान निर्धारिती द्वारा ग्रेनुलेटेड माल के उत्पादन के लिए कच्चे माल/उपभोज्यों की अधिप्राप्ति तथा प्रयोग पर ₹ 1.63 करोड़ की राशि के सीएसटी की प्रतिपूर्ति प्रदान की गई थी। हाँलाकि इस राशि में ₹ 32.64 लाख के उस कच्चे माल की प्रतिपूर्ति शामिल थी जिसका प्रयोग अगस्त 2009 (अर्थात वह तिथि जिससे एफटीपी में संशोधन प्रभावी हुआ) से पहले डीटीए को वापिस बेचे गए अन्तिम उत्पादों के लिए किया गया था। परिणामस्वरूप ₹ 32.34 लाख की राशि के सीएसटी की प्रतिपूर्ति अधिक की गई।

हमारे द्वारा इसे बताया जाने पर (जुलाई 2008), उपायुक्त, वीएसईजेड ने कहा (जून 2010) कि ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं था कि सीएसटी निर्यात के लिए उत्पाद में प्रयोग इनपुटों की कीमत के अनुपात तक सीमित किया जाना चाहिए। विभाग ने बाद में बताया कि ईओयूएस को उत्पादन में प्रयुक्त किसी भी इनपुट्स के लिए सीएसटी की प्रतिपूर्ति की जानी है।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है। विभाग द्वारा वर्णित स्थिति अगस्त 2009 अर्थात एफटीपी 2009-14 में संशोधन के बाद लागू हुई है। इससे पहले सीएसटी की प्रतिपूर्ति केवल निर्यात माल के लिए ही उपलब्ध थी।

हमने मामले की सूचना मंत्रालय को दी (अक्टूबर 2010); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2010)।

4.2.4 अनियमित डीटीए बिक्री

एफटीपी 2004-09 के पैराग्राफ 6.8(ए) के अनुसार, एक ईओयू सकारात्मक एनएफई की पूर्ति की शर्त पर शुल्क की रियायती दर पर घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) में निर्यात के 50 प्रतिशत एफओबी मूल्य पर माल बेच सकती है। डीटीए बिक्री का अधिकारी होने से यूनिट इकाइयों द्वारा निर्यातित या निर्यात किए जाने वाले माल जैसे उत्पादों को डीटीए में बेच सकती है।

दिसम्बर 1998 में मै0 जेबस इंटरनेशनल प्रा0 लि0 को संसाधित मसालों तथा तैलीय बीजों के उत्पादन तथा निर्यात के लिए अनुमति पत्र (एलओपी) जारी किया गया जिसको अगस्त 2004 में फिर से जारी किया गया। यूनिट ने 2005-06 से 2006-07 के दौरान दिनांक 31 मार्च 2003 की अधिसूचना सं0 23/2003-सीई के अंतर्गत रियायती दर के शुल्क पर 'जावित्री' तथा 'पिपली' की निकासी की। बिक्री के बीजकों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि यूनिट द्वारा इन मदों का 2005-06 तथा 2007-08 के बीच की अवधि के दौरान कभी निर्यात किया ही नहीं गया था। उपरोक्त पैराग्राफ के अनुसार, डीटीए में रियायती शुल्क दर पर निकासी केवल तभी लागू है जब उन वस्तुओं को निर्यात किया जाता है या निर्यात किए जाने की आशा होती है। चूंकि यूनिट ने उन वस्तुओं का निर्यात किया ही नहीं था शुल्क की रियायती दर की सुविधा

दिया जाना अनियमित था। इसके कारण ₹ 16.29 लाख के शुल्क का उद्ग्रहण कम हुआ।

जब हमें यह बताया (अगस्त 2009), विभाग ने 'पिपली' के सम्बन्ध में आपत्ति को स्वीकार किया तथा सूचित किया (जुलाई 2010) कि 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान डीटीए बिक्री के लिए यूनिट को कारण बताओ ज्ञापन जारी किया जा चुका था। तथापि 'जावित्री' के मामले में, विभाग ने कहा कि आयातित वस्तु का करी पाऊंडर के निर्माण में प्रयोग किया गया था जिसे बाद में निर्यात किया गया था अतः जावित्री की डीटीए में रियायती शुल्क पर निकासी वैध थी तथा नियमानुसार थी। विभाग का उत्तर स्वीकार्य न था क्योंकि एफटीपी के पैराग्राफ 6.8(ए) के अनुसार ईओयू को डीटीए में निर्यातित वस्तुओं या निर्यात की जाने वाली वस्तुओं को ही बेचा जाना है। यूनिट ने 'जावित्री' का प्रयोग 'करी पाऊंडर' के उत्पादन तथा निर्यात के लिए किया था। इसलिए वह 'करी पाऊंडर' की निकासी डीटीए के लिए कर सकती थी परन्तु जावित्री की नहीं।

हमने मामले की सूचना मंत्रालय को दी (अक्टूबर 2010), उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था(दिसम्बर 2010)।

4.3 विशेष कृषि उपज योजना (वीकेयूवाई)

शुल्क क्रेडिट का अधिक दिया जाना

एफटीपी 2004-2009 के पैराग्राफ 3.8.2 के अनुसार कृषि उत्पादकों के निर्यातकर्ता विशेष कृषि उपज योजना (वीकेयूवाई) के अंतर्गत निर्यातों के एफओबी के 5 प्रतिशत के बराबर शुल्क का क्रेडिट लेने के हकदार थे। तथापि, यदि निर्यातक एफटीपी के अध्याय 4 (शुल्क से छूट की योजना) के अंतर्गत शुल्क के ऐसे क्रेडिट का लाभ उठा चुके हों तो एफओबी की केवल 3.5 प्रतिशत की घटी दर तक के ही हकदार होंगे।

जेडीजीएफटी, कटक के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत मै0 प्रीति आयल लि0 तथा दो अन्य निर्यातकों को कृषि उत्पादों (निष्प्रभावित विरंजति साल वसा, पुर्नसंसाधित स्वच्छ तथा श्रेणीकृत इंडिया नाइगर बीज आदि) के निर्यात के एफओबी मूल्य के 5 प्रतिशत ₹ 45.81 लाख के शुल्क के क्रेडिट के लिए पांच वीकेयूवाई पर्चियां जारी की गई थी (मार्च 2007 तथा मई 2009)। हमने पाया कि निर्यातकों ने एफटीपी की शुल्क योग्यता पासबुक (डीईपीबी) योजना के अंतर्गत कर से छूट का भी लाभ उठाया था। इसलिए वीकेयूवाई योजना के तहत शुल्क का क्रेडिट ₹ 31.93 लाख का ही स्वीकार्य था। इससे ₹ 13.88 लाख का शुल्क क्रेडिट अधिक दिया गया था।

हमारे बताए जाने पर (जुलाई 2009), जेडीजीएफटी, कटक ने डीजीएफटी नीति परिपत्र सं03(आर ई 2008)/2004-2009 दिनांक 24 अप्रैल 2008 (पैराग्राफ 3) को उद्धृत करते हुए कहा (जुलाई 2009) कि क्योंकि निर्यातकों ने डीईपीबी सूची के उत्पाद कोड 90 के क्रमांक 22 डी के अंतर्गत पैकिंग सामग्री के लिए डीईपीबी लाभ का दावा किया था, 5 प्रतिशत की उच्च दर से वीकेयूवाई लाभ दिया जाना औचित्यपूर्ण था। जेडीजीएफटी ने डीजीएफटी नई दिल्ली द्वारा इस सम्बन्ध में 29 सितम्बर 2009/पत्र एफ सं0 1/91/180/764/एम 10/पीसी-3/348) द्वारा जारी स्पष्टीकरण के आधार पर अपनी अवधारणा की पुनर्वृत्ति की (दिसम्बर 2009)।

जेडीजीएफटी का उत्तर स्वीकार्य नहीं था। क्रमांक 22 डी की उपरोक्त प्रविष्टि के अधीन डीईपीबी की दरें केवल पैकिंग सामग्री के लिए ही नहीं थीं, बल्कि पैकिंग सामग्री में लिपटे उस निर्यात उत्पाद के लिए जिसके लिए कोई विशेष डीईपीबी दरें अधिसूचित नहीं की गई हैं प्रदान की गई थीं। इसके अतिरिक्त दिनांक 24 अप्रैल 2008 के परिपत्र के पैराग्राफ 4 में वीकेयूवाई 5 प्रतिशत की उच्च दर पर अनुमत किया गया है जब निर्यातक एक प्रतिशत तक का ही ड्राबैक प्राप्त करें। यह पाया गया था कि इन मामलों में निर्यातकों ने एक प्रतिशत से अधिक की दर से डीईपीबी ड्राबैक प्राप्त किया था तथानुसार वे 3.5 प्रतिशत की निम्न दर से ही वीकेयूवाई क्रेडिट का लाभ लेने के योग्य थे। डीजीएफटी का 29 सितम्बर 2009 का स्पष्टीकरण एफटीपी (2004-2009) के पैराग्राफ 3.8.2 में तब के प्रावधानों के अंतर्गत 27 अगस्त 2009 से पूर्व किए गए निर्यातों पर लागू नहीं होता था।

हमने मंत्रालय को मामले की सूचना दी थी (अक्टूबर 2010); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2010)।